संख्या–वे0आ0–2–~~183~~ 383 / दस–54(एम)2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव, वित्त,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
आबकारी विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 23 जुलाई, 2013

विषयः– वेतन समिति (2008) के सोलहवें प्रतिवेदन द्वारा वर्दी भत्ता, वर्दी नवीनीकरण भत्ता तथा वर्दी धुलाई भत्ता आदि के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पत्र संख्या–वे0आ0–2–612 / दस–54(एम) 2008टी0 सी0, दिनांक 16 नवम्बर, 2012 द्वारा संसूचित निर्णय के आंशिक संशोधन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र दिनांक 16 नवम्बर, 2012 के प्रस्तर–1(1) तथा 1(2) की तालिका में कम संख्या–1 के सम्मुख स्तम्भ–2 में उल्लिखत पदनाम जिला आबकारी आयुक्त को जिला आबकारी अधिकारी पदनाम से प्रतिस्थापित किया जाये।

2– उपर्युक्त पत्र दिनांक 16 नवम्बर, 2012 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

अजय अग्रवाल
सचिव, वित्त।

संख्या–वे0आ0–2–~~183~~ 383(1) / दस–54(एम) / 2008टी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1
2– कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
3– निदेशक, एन0आई0सी0, छठां तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेबसाइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार जोशी)
संयुक्त सचिव।

C.N-16 Bhatta